यूपी में खत्म होंगे सदियों पुराने 48 कानून

उत्तर प्रदेश

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

- 31 जुलाई तक इन्हें खत्म करने पर बनी सहमति, कैबिनेट से प्रस्ताव जल्द पास कराने की तैयारियां शुरू

राज्य सरकार सदियों पुराने 13 विभागों के 48 कानूनों को 31 जुलाई तक खत्म करने जा रही है। सबसे अधिक आबकारी विभाग के 18 नियम और अधिनियम हैं। विभागीय स्तर पर तैयार इन प्रस्तावों पर उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन गई है। इन्हें खत्म करने के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई है।

मौजूदा समय खत्म हो गया महत्व : प्रदेश में विभागों के गठन के साथ ही जरूरत के आधार पर नियम और अधिनियम बनाए गए थे। मौजूदा परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर नियम व अधिनियम बनाए जा चुके हैं या फिर कामों का बंटवारा करते हुए दूसरे विभागों को जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। इसके चलते इनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार ने ऐसे नियमों व अधिनियमों को समाप्त करने की पहल करते हुए राज्यों को निर्देश दिया था। औद्योगिक विकास विभाग के नेतृत्व में इन नियमों व अधिनियमों को समाप्त करने या इनकी प्रासंगिकता पर परीक्षण किया गया। सभी विभागों से इसके बारे में सूचना मांगी गई कि उनके यहां कितने नियम व अधिनयम ऐसे हैं, जिनकी मौजूदा समय जरूरत नहीं है। सभी विभागों ने अपनी-अपनी सूची सौंपी, इसके आधार पर तय किया गया है कि 48 पुराने नियमों व अधिनियमों को समाप्त कर दिया जाए।

व्यवस्था

इन्हें किया जाएगा खत्म

- उप्र बिजली (नियंत्रण की अस्थायी शक्तियां) (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम-1956
- उप्र बिजली (वितरण का विनियमन और खपत) अध्यादेश 1972
- उप्र बिजली (वितरण का विनियमन और खपत) अध्यादेश 1977
- उप्र बिजली (आपूर्ति, वितरण का विनियमन, उपभोग और उपयोग) अध्यादेश 1977

किस विभाग के कितने कानून

बिजली विभाग	18
वन विभाग	सात
खाद्य एवं नागिक आपूर्ति	चार
आबकारी विभाग	तीन
पंचायती राज विभाग	तीन
हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	दो
उच्च शिक्षा विभाग	दो
गृह विभाग	दो
आवास विभाग	दो
राजस्व विभाग	दो
मत्स्य विभाग	एक
सिंचाई एवं जल संसाधन	एक
परिवहन विभाग	एक

आबकारी विभाग

- उप्र उत्पाद शुल्क (विदेशी शराब की कीमत) नियम 1982
- उप्र अफीम धूम्रपान अधिनियम 1934
- उप्र आध्यात्मिक तैयारी (अंतर-राज्यीय व्यापार, वाणिज्य) नियंत्रण नियम 1957

मत्स्य विभाग

- उप्र मत्स्य विभाग अराजपत्रित सेवाएं (मामूली सजा अधिरोपण) नियम 1973